



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 602 - विनियम एवं का0वि0नी0/पाकालि/2021-07-विनियम/19

दिनांक 04 अगस्त, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.07.2021 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 875-विनियम एवं काविनी/पाकालि/20-7-विनियम/19 दिनांक 28.10.2020 द्वारा निर्गत) निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (प्रथम संशोधन)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 के प्राविधानों को, कारपोरेशन के समस्त सहयोगी वितरण निगमों यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/केस्को, कानपुर तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में तैनात कॉमन कैंडर के कार्मिकों के साथ ही आमेलित कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी बनाने के दृष्टिगत निम्नानुसार स्तम्भ-02 की व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

वर्तमान व्यवस्था (स्तम्भ-01)	प्रतिस्थापित व्यवस्था (स्तम्भ-02)
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (ग) यह कम्पनी एक्ट-2013 के सेक्शन 179 एवं कम्पनी एक्ट के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत निदेशक मण्डल को विनियम बनाने की शक्ति के अधीन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त कार्मिक एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के उन कार्मिकों पर भी लागू होगी, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के कॉमन कैंडर के सदस्य हैं।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (ग) यह कम्पनी एक्ट-2013 के सेक्शन 179 एवं कम्पनी एक्ट के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत निदेशक मण्डल को विनियम बनाने की शक्ति के अधीन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त कार्मिक एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में आमेलित समस्त कार्मिकों तथा उन कार्मिकों पर भी लागू होगी, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के कॉमन कैंडर के सदस्य हैं।
परिभाषाएं 2 (ज) "कार्मिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,	परिभाषाएं 2 (ज) "कार्मिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,

[Handwritten signatures and initials]

वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि० की ऐसी सेवायें एवं पद जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कॉमन कैडर में हैं, के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है।	वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि० की ऐसी सेवायें एवं पद जो कॉमन कैडर/आमेलित पदों के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है।
---	---

2. उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 का प्रथम संशोधन माना जायेगा तथा कारपोरेशन आदेश सं० 875-विनियम एवं काविनी/पाकालि/20-7-विनियम/19 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से निर्गत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्या: 602-(1)-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/केस्को, कानपुर।
- 5- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अन्य समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 9- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 15- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.07.2021 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 16- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

उप सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)